

**20.08.2019**

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पक्षकार जरिये अधिवक्ता उपस्थित।  
प्रार्थनापत्र 50 ग पर सुना ।

**निस्तारण प्रार्थनापत्र 50 ग**

प्रार्थनापत्र 50 ग प्रार्थी/तृतीय पक्ष राकेश कुमार आदि की ओर से फर्द सबूत से दाखिल कागजात को पत्रावली पर लिये जाने अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। कथन किया गया है कि उपरोक्त प्रपत्र उसको प्राप्त नहीं हो सका था अब उसे प्राप्त हो गया है। उक्त प्रपत्र काफी अहम है, जिससे न्यायालय को न्याय करने में मदद मिलेगी, ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रपत्र को पत्रावली पर लिये जाने की अनुमति मिलना आवश्यक है।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र आपत्ति का अंकन किया गया, किन्तु उक्त प्रार्थनापत्र के विरुद्ध कोई आपत्ति अभिलेख पर दाखिल होना नहीं पाया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रश्नगत प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्रार्थी/तृतीय पक्ष द्वारा फर्द सबूत से दाखिल कागजात को पत्रावली पर लिये जाने अनुमति चाही है। तृतीय पक्ष का प्रार्थनापत्र बाबत बनने पक्षकार लम्बित है, जिसका अभी निस्तारण नहीं हुआ है।

प्रस्तावित प्रपत्र उद्धरण खतौनी ग्राम लखना परगना भरथना तहसील भरथना जिला इटावा फसली वर्ष 1421-1426 की सत्य प्रतिलिपि है। इस स्तर पर यह देखा जाना है कि कागजात महत्वपूर्ण है अथवा नहीं। प्रस्तावित कागजात महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। यद्यपि उसकी सुसंगतता निर्णय के स्तर पर परीक्षित होगी।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थनापत्र 50 ग न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थनापत्र 50 ग न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

**OS NO-237/2014**

प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न सूची से दाखिल कागजात पत्रावली पर लिया जाये।

पत्रावली वास्ते सुनवाई/निस्तारण प्रार्थनापत्र 22 ग दिनांक 23.09.2019 को पेश हो।

सिविल जज(सी०डि०)

इटावा।